न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

जिला रीवा म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2015

188
11-6-15

COURT FEE
20 Rs.
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

निगरानी 2317-II-15

1- हीरालाल पिता रामनाथ साहू उम्र 68 वर्ष, पेशा खेती,

2- वंशलाल तनय टहलूशाह पेशा खेती, दोनों निवासीगण ग्राम

चोचर थाना माड़ा, तहसील व जिला सिंगरौली म०प्र०

------ पुनरीक्षणकर्तागण

श्री... सन्तोष कुमार पाण्डेय के द्वारा आज दिनांक 011-6-15 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा.

विरुद्ध

1-रंगलाल पिता सुमेर बियार उम्र 56 वर्ष, पेशा खेती,

2- रामपरमेश्वर उर्फ परमेश्वर तनय सुमेर बियार उम्र 53 वर्ष,

पेशा खेती, दोनों निवासीग्राम चोचर, थाना माड़ा, तहसील व

जिला सिंगरौली म०प्र० --------------- अनावेदकगण

क्रमांक 58 नि.
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक.............को प्राप्त
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्

कलेक्टर महोदय सिंगरौली जिला सिंगरौली

के रा०प्रकरण क्र० 54/अपील/13-14 आदेश

दिनांक 11-12-14

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू राजस्व

संहिता सन् 1959 ई०

मान्यवर, प्रकरण के तथ्य

आवेदकगणों द्वारा न्यायालय अ०

... ... 3/अपील/129/ 08-09 में पारित

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2317-II/13 .... जिला सिंगरौली ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18.12.15	प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली के आदेश दिनांक 11.12.14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें कलेक्टर ने विलम्ब माफी के आवेदन-पत्र को स्वीकार करते प्रकरण को गुणागुण पर सुनवाई हेतु नियत किया गया है। प्रकरण में संलग्न कलेक्टर की प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा विलम्ब माफी के सम्बन्ध में म्याद अधिनियम की धारा-5 की व्यवस्था के अनुसार दिन-प्रतिदिन के विलम्ब का कारण स्पष्ट न करते हुए, सरसरी तौर पर, विलम्ब क्षमा का आदेश पारित किया गया है, जो कि बोलता हुआ आदेश नहीं है। उपरोक्त कारण से कलेक्टर का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 11.12.14 को निरस्त करते हुए, प्रकरण इस निर्देश के साथ वापस किया जाता है कि म्याद अधिनियम की धारा-5 की मन्शा के अनुरूप दिन-प्रतिदिन का विलम्ब में हुए कारण का स्पष्ट उल्लेख करते हुए, स्वं/अपील	

[क्र. प. उ.

[illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
M	में वर्णित बिन्दुओं की गंभीरता को देखते हुए बोलता हुआ आदेश पारित करें। आदेश की प्रति कलेक्टर को भेजी जाय। प्रकरण पंजी से काट दाखिल दा० द० किया जाय। 18.12.15 सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.